केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

6वां, 7वां एवं 8वां तल, टावर–बी, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर,
नौरोजी नगर, नई दिल्ली – 110029

याचिका सं.352/टीएल/2024 **दिनांक : 26.11.2024**

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 15 की उप–धारा (5) के खंड (क) के अधीन नोटिस

भड़ला–III पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड, बी–9, कुतुब इंस्टीट्यूश्नल एरिया, कटवारिया सराय, नई दिल्ली– 110016 द्वारा निम्नलिखित घटकों को शामिल करते हुए निर्माण, स्वामित्व, प्रचालन और अंतरण आधार (इसके बाद "परियोजना" के रूप में संदर्भित) पर "राजस्थान आरईजेड फेस–III योजना (20 जीडब्ल्यू) के भाग के रूप में भड़ला–III पीएस से विद्युत की निकासी के लिए अतिरिक्त पारेषण प्रणाली" स्थापित करने हेतु विद्युत अधिनियम, 2003 (अधिनियम) की धाराओं 14 और 15 के अधीन आवेदन किया गया है:

क्र. सं.	पारेषण घटक का नाम	प्रभावी तारीख से मास में अनुसूचित सीओडी
1.	भड़ला–III पीएस पर 2x500 एमवीए (4वां एवं 5वां), 400/220 केवी आईसीटी का संवर्धन • भड़ला–III पीएस पर 500 एमवीए 400/220 केवी आईसीटी – 2 नंबर • 400 केवी आईसीटी बे– 2 नंबर • 220 केवी आईसीटी बे– 2 नंबर	एसपीवी अंतरण की तारीख से 18 मास
2.	भड़ला–III पीएस* पर 1x1500 एमवीए, 765/400 केवी (तृतीय) आईसीटी का संवर्धन • भड़ला–III पीएस पर 1500 एमवीए 765/400 केवी आईसीटी – 1 नंबर • 765 केवी आईसीटी बे– 1 नंबर • 400 केवी आईसीटी बे– 1 नंबर	
3.	भड़ला–III पीएस पर 220 केवी बीसी बे (1 नंबर) और 220 केवी टीबीसी बे (1 नंबर) के साथ 220 केवी बस सेक्शनलाइजर (1 सेट) • 220 केवी सेक्शनलाइजर बे: 1 सेट • 220 केवी बीसी बे (1 नंबर) और 220 केवी टीबीसी बे (1 नबर)	
4.	भड़ला–III पीएस पर 1x1500 एमवीए, 765/400 केवी (चौथा) आईसीटी • भड़ला–III पीएस पर 1500 एमवीए 765/400 केवी आईसीटी – 1 नंबर • 765 केवी आईसीटी बे– 1 नंबर • 400 केवी आईसीटी बे – 1 नंबर	30.12.2025

**जून 25 तक 765/400 केवी आईसीटी (क्र.सं. 2 में तीसरा आईसीटी) को कमीशन करने के लिए प्रयास किए जा सकते हैं।*

2. सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने दिनांक 11.9.2024 के अपने पत्र द्वारा प्रस्तावित पारेषण प्रणाली की स्थापना के लिए आवेदक को पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने हेतु संस्तुत किया है।

3. रिकॉर्ड में उपलब्ध सामग्री के आधार पर, आयोग ने याचिका सं 352/टीएल/2024 में दिनांक 25.11.2024 के आदेश द्वारा उपर्युक्त पैरा 1 में यथोल्लिखित पारेषण योजना की स्थापना हेतु आवेदक को पारेषण अनुज्ञप्ति जारी किए जाने का प्रस्ताव किया है।

4. **भड़ला–III पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड** को अंतरराज्यिक पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने हेतु आवेदक द्वारा आयोग के समक्ष किए गए अनुबंध एवं अनुलग्नकों सहित आवेदन की प्रति को वेबसाइट www.powergrid.in/subsidiaries पर देखा जा सकता है या निर्धारित क्रियाविधि का अनुपालन करते हुए आयोग के कार्यालय में किसी व्यक्ति द्वारा इसका निरीक्षण किया जा सकता है।

5. नोटिस, अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (5) के खंड (क) के अनुसरण में दिया गया है कि उक्त के अनुसार, आवेदक को पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने हेतु आयोग के प्रस्ताव में सुझावों या आपत्तियों, यदि कोई हो, को उक्त पते पर दिनांक **6.12.2024** तक अधोहस्ताक्षरी को भेज दिया जाए। विनिर्दिष्ट तारीख के बाद प्राप्त हुए सुझावों या आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा।

6. आयोग द्वारा दिनांक **9.12.2024** को आवेदन पर आगे की सुनवाई की जाएगी। कोई भी व्यक्ति जो सुझावों या आपत्तियों को दर्ज करता है, वह इस सुनवाई में अपने स्वविवेक से उपस्थित रह सकता है जिसके लिए आयोग द्वारा कोई टीए/डीए नहीं दिया जाएगा।

ह0/–
(हरप्रीत सिंह पुथी)
सचिव